16

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

कमांक: प.4(6)कार्मिक/क–3/78 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.4.2007

परिपत्रादेश

विषयः–राजकीय अधिकारियों द्वारा राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन नहीं करने एवं इन भवनों के शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं कराने के संदर्भ में निर्देश।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 14.11.95, 23.8.99 एवं 23.4.2002 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे कि राजकीय अधिकारी राजकीय भवनों के शिलान्यास अथवा उद्घाटन नहीं करें, और इनके शिलालेखों पर स्वयं का नाम अंकित नहीं करावें।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। यह आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

समस्त अधिकारीगण को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे राजकीय भवनों/बस्तियों का शिलान्यास/उद्घाटन नहीं करें और शिलान्यास/उद्घाटन शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं करायें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों/भवनों एवं बस्तियों, अथवा राजकीय सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा सम्बोधित नहीं किये जायें।

सभी संबंधित अधिकारीगण को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करें, अन्यथा इसे राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन समझा जायेगा और संबंधित अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला कलक्टर्स)
6. रक्षित पत्रावली।

उप विधि परामर्शी

LRS/DOP/Circulars